न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष-डॉ0 एम0के0अग्रवाल,

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 626/दो/2012 एवं 4037/एक/2014 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29.06.2011 न्यायालय कलेक्टर अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 08/स्व0निग0/2005-06

....

1- प्रकाश बाई पत्नी भुजबल आयु 60 वर्ष
एवं अन्य 58 पक्षकार, समस्त निवासीगण
ग्राम बीलाखेड़ा, तहसील- मुंगावली जिला- अशोकनगर

------------- आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर अशोकनगर

------------- अनावेदक

एवं

2- रघुबीर पुत्र लल्जुआ चमार आयु 50 वर्ष
व्यवसाय, कृषि निवासी ग्राम- बीलाखेड़ा
तहसील मुगावली जिला अशोकनगर

------------ आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर अशोकनगर
मध्य प्रदेश शासन, द्वारा तहसीलदार मुंगावली
जिला- अशोकनगर।

---------- अनावेदक

श्री बिनोद श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदक क्र. 1 से 59 (626/12)
श्री लखन सिंह धाकड़, अधिवक्ता,आवेदक (निग. 4037/14)
श्री प्रखर ढेंकुला, शासकीय अधिवक्ता, अनावेदक(निग.626 एवं 4037)

निगरानी प्रकरण क्रमांक 626/दो/2012 एवं 4037/एक/2014

(आदेश दिनांक 23/4/18 को पारित)

यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर अशोकनगर जिला अशोकनगर के आदेश दिनांक 29.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। (यह आदेश दोनों निगरानियों में लागू होगा)

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 29.06.2011 में अंकित होने से यहां पुनरांकित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उनका वारीकी से परीक्षण किया जावेगा। विवादित भूमि का विवरण भी आक्षेपित आदेश दिनांक 29.06.2011 के पैरा 1 में अंकित होने से यहां दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे संज्ञान में लिया गया है।

3- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदकगण के अधिवक्ताओं द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वही तर्क दुहराए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है निगरानी मेमो में अंकित होने से उन्हें यहां पुनरांकित किया जाकर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उन पर विचार किया जाकर उनका परिशीलन किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29.06.2011 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4- अनावेदक शासन के अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29.06.2011 को विधिवत एवं बैध ठहराते हुए स्थिर रखा जाकर निगरानी अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

5- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में उपस्थित बाद बिन्दु के संबंध में विचाराधीन आदेश दिनांक 29.06.2011 का भी अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ कलेक्टर द्वारा अपने आलोच्य आदेश के पैरा 2 एवं पैरा 3 के उप क्रमांक 1 लगायत 8 तथा उपक्रमांक 8 के उपक्रमांक 1 लगायत 10 में विवादित भूमि के बंटन/व्यवस्थापन में पाई गयी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है, चूंकि आलोच्य आदेश दिनांक 29.06.2011 में विचारण न्यायालय द्वारा बंटन/व्यवस्थापन में की गयी अनियमितताओं का विस्तृत उल्लेख किए जाने से यहां इस आदेश में उन्हें पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन्हें विचार में लिया गया है जो इस आदेश का भाग भी मानी जावेगी।

6- बंटन/व्यवस्थापन में पाई गयी उपरोक्त कमियों एवं अनियमितताओं की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचना आलोच्य आदेश दिनांक 29.06.2011 के पैरा 6 के उप क्रमांक 1 लागायत 19 में की गयी है जिसका भी मेरे द्वारा बारीकी से परिशीलन

किया गया है। कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में की गयी विवेचना सारगर्भित एवं विधिसम्मत होने से मैं उक्त विवेचना से सहमत हूं जो इस आदेश में की गयी विवेचना मानी जाकर इस आदेश का अंग होगी, तथा प्रश्नाधीन आदेश में अंकित होने से उक्त विस्तृत विवेचना को यहां पुनः उल्लेखित कर पुनरांकित नहीं किया जा रहा है, किन्तु उसे विचार में लिया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ कलेक्टर द्वारा उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 29.06.2011 के अंतिम पैरा में निष्कर्ष निकालते हुए नायब तहसीलदार गुगावली के प्रकरण क्रमांक 49/अ-49/02-03 में पारित बंटन/व्यवस्थापन आदेश दिनांक 06.01.2003 को निरस्त किया गया है।

7- उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में कलेक्टर का उक्त आदेश विधिक एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप कलेक्टर का आलोच्य आदेश दिनांक 29.06.2011 बैधानिक एवं तथ्यात्मक तथा नीतिगत होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। यह आदेश निग. क्रमांक 626/दो/2012 एवं निग. क्रमांक 4037/एक/2014 दोनो में ही प्रभावशील होगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश,
ग्वालियर